## Order Sheet [Contd]

५० क्० गुप्ता

Case No. 70.0.7. 360f 20 1.6.30 tuto

Date of Order or Proceeding

शायिक मजिस्टेट प्रथम अणी लोक्न जिला चिण्ह प्राप्त Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

23-03-17

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री रघुनाथ त्रिवेदिया। फरियादी देवेन्द्र जाटव उप0।

फरियादी देवेन्द्र की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा अतर्गत धारा 320-2 हस्ताक्षर एवं छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री मुकेश कुशवाह एवं अभियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री रघुनाथ त्रिवेदिया द्वारा की गई।

उमयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जानमिक में प्रकट किया है। राजीनामा में क्षंबंध में कारिया के पार्ट्या में किया जानमिक संबंधों के प्राप्त के किया है। राजीनामा में क्षंबंध में कारिया में

अभियुक्तगण पर भा0द0वि० की घारा 294, 323, 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का अमियोग है जो कि न्यायालय की अनुमित से फरियादी /आहत द्वारा शमनीय होना उपबंधित है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जिल्ला अन्ति है। अभियुक्तगण को संहिता की धारा 294, 323, 325 सहपिटत धारा 34 मा0द0विo के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुम्बिक len प्रदान की जाती है।

अमियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है उनके निवेदन पर

मुचलके 6 माह तक प्रमावी रहेंगे।

प्रकरण में जब्दाशुदा संपत्ति लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे, अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर अमिलेखागार मेजा जावे